



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-42/2022

राज्य

बनाम्

मो० खुर्शीद आलम

—: आदेश :—

08/08/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 801/एम० दिनांक 02.08.2022 एवं पत्रांक 839/एम० दिनांक 20.08.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद मनिका थाना सन्हा संख्या-10/22 दिनांक 30.07.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) के आलोक में जप्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08F-5619, Eng. No.-RHC2EAN2807, Chassis No-MBNABAEXPHRC01699 को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08F-5619 के निबंधित स्वामी मो० खुर्शीद आलम पिता-जलील अंसारी, ग्राम+पो०-बकोरिया, थाना-मनिका, जिला-पलामू है। उक्त ट्रैक्टर को बकोरिया से बरवैया कला खाद एवं बीज लाने हेतु भेजा गया था। जब ट्रैक्टर खाली हुआ तो बरवैया कला के ग्रामीणों के द्वारा बरवैया कला में बन रहे मंदिर के लिए बालू लाने हेतु चालक से आग्रह किया गया। चालक द्वारा जानकारी के अभाव में ग्रामीणों के आग्रह पर बालू ट्रैक्टर के ट्रॉली में लोड कर लिया गया। प्रतिपक्षी का यह पहली गलती है। प्रतिपक्षी भविष्य में अपने ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का कार्य नहीं करेंगे।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी मनिका द्वारा दिनांक 30.07.2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर मनिका थाना क्षेत्र अन्तर्गत अवैध परिवहन की

-5-

रोकथाम हेतु जांच के क्रम में ग्राम-सधवाडीह के पास ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08F-5619 के ट्रॉली पर लदे अवैध बालू खजिन सहित वाहन को जप्त कर थाना प्रभारी, मनिका थाना द्वारा सुरक्षार्थ मनिका ब्लॉक पिकेट परिसर में रखा गया।

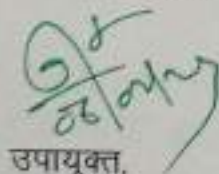
दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर रजि० नं०-JH08F-5619 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:-

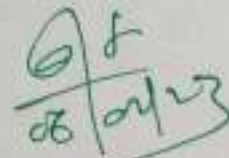
1. उक्त वाहन की प्रकृति व पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे व वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।



उपायुक्त,
लातेहार।



उपायुक्त,
लातेहार।